

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक- / / 2022 ई०।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-582/34/16/2017-PCD में निहित अनुशंसा के आलोक में पुलिस हिरासत में मृत विकास लकड़ा की आश्रिता पत्नी प्रीति लकड़ा, C/o- मनोज मुण्डा, करम टोली, धर्मवीर क्लब, राम प्यारी हॉस्पिटल के पीछे, थाना- लालपुर, जिला- राँची को रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2.

रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट शीर्ष- "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम -05- दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत -06- अनुदान -49- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड- 22S22356020005000649 के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

3.

उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, राँची होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से की जाएगी।

4.

राशि का भुगतान एक मुश्त चेक/ड्राफ्ट द्वारा मृत विकास लकड़ा की आश्रिता पत्नी प्रीति लकड़ा, C/o- मनोज मुण्डा, करम टोली, धर्मवीर क्लब, राम प्यारी हॉस्पिटल के पीछे, थाना- लालपुर, जिला- राँची को रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) आर्थिक अनुदान राशि भुगतान की स्वीकृति।

5.

राशि का न तो पुनर्भुगतान किया जाएगा और न ही विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय किया जायेगा।

6.

प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुरोध है कि उपायुक्त, राँची के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रदीप तिग्गा)

सरकार के अपर सचिव।

(क०पू०उ०)

ज्ञापांक-17 / NHRC-(पु०हि०)-05 / 2021-...../राँची, दिनांक- / /2022 ई०।

प्रतिलिपि- उपायुक्त, राँची /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, राँची से अनुरोध है कि मृत विकास लकड़ा की आश्रिता पत्नी प्रीति लकड़ा, C/o- मनोज मुण्डा, करम टोली, धर्मवीर क्लब, राम प्यारी हॉस्पिटल के पीछे, थाना- लालपुर, जिला- राँची का नाम आदि सत्यापित/सम्पुष्टी उपरान्त रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये मात्र) राशि का भुगतान अपने निदेशन एवं आवश्यक जांचोपरान्त करते हुए पावती रसीद यथाशीघ्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-17 / NHRC-(पु०हि०)-05 / 2021-...../राँची, दिनांक- / /2022 ई०।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राशि का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-17 / NHRC-(पु०हि०)-05 / 2021-...../राँची, दिनांक- / /2022 ई०।

प्रतिलिपि- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची /उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-17 / NHRC-(पु०हि०)-05 / 2021-...../राँची, दिनांक-21/09/2022 ई०।

प्रतिलिपि- Shri Indrajeet Kumar, Assistant Registrar (Law), National Human Right Commission, Manav Adhikar Bhawan, 'C' BLOCK, GPO Complex, I.N.A. New Delhi- 110023/ नोडल प्रदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

21/09/22
21/09/22